न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 20 / 2025 रसद
महेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र स्व. श्री जवान सिंह उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत पांचोली, तहसील सिकराय जिला दौसा

.......अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

जिला रसद अधिकारी, दौसा (राज.)

......रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश 1976 एवम् जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08—08—2024 के अन्तर्गत ।

उपस्थित—1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्रीमती सूरज बाई मीना, विभागीय पैरोकार सरकार।

दिनांक: 20.02.2026

निर्णय

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 8.8.2024 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी / अपीलार्थी ग्राम पंचायत पांचोली, तहसील सिकराय जिला दौसा (राजस्थान) की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 15 / 2005 हे एवम् प्रार्थी को रसद सामग्री वितरण हेतु पोस मशीन संख्या 27027 आवंटित की गयी एवं प्रार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से ग्राम पंचायत पांचोली तहसील सिकराय के 'उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण कार्य करता रहा है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.06.2016, 19.07.2016 एवं 05.08.2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24.03.201[illegible] किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगुठे का बा[illegible] रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.[illegible] उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर र[illegible] है जिसका प्राप्ति [illegible] उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण [illegible] कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेसमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री दिये जाने बाबत् आदेश पारित किये गये है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 01.09.2023 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गयी जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जांच के लगभग 8 माह पश्चात् दिनांक 29.05.2024 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसकी विधिवत तामील प्रार्थी को नहीं करवायी गयी जिसके कारण प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया जा सका एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालय दौसा द्वारा प्रार्थी को सूचित किये बिना ही प्राथी के प्राधिकार पत्र को अपने आदेश दिनांक 16.07.2024 द्वारा निलम्बित किया जाकर आगामी तारीख पेशी 08.08.2024 नियत की गयी जिसकी कोई भी सूचना प्रार्थी को नहीं दी गयी एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी के विरूद्व इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए अपने आदेश दिनांक 08.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया। विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवम् विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिनांक 30–06–2016, 19. –07–2016 एवं 05–08–2016 को पोस मशीन द्वारा रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण बाबत् दिशा निर्देश पारित किये गये तत्पश्चात् दिनांक 24–03–2017 का संशोधित आदेश पारित किये जिसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा अपने आधार कार्ड एवं अंगूठे का बायोमैट्रिक रूप से मिलान करने पर उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओ.टी.पी. नम्बर आता है जिसको उपभोक्ता द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को बताने पर रसद सामग्री देय होती है जिसका प्राप्ति मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। चूंकि उक्त वितरण व्यवस्था पूर्ण रूप से कम्प्यूटराइज्ड होने के कारण लेशमात्र भी कालाबाजारी की कोई गुंजाईश नहीं हो सकती एवं उक्त पोस मशीन से ऑनलाइन वितरण के कारण उपभोक्ता को देय रसद सामग्री का मैसेज उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाने के कारण राशनकार्ड में रसद सामग्री का इन्द्राज किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ता द्वारा भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड लाने पर ही रसद सामग्री देय हो जाती है इसलिये उपभोक्ता के राशनकार्ड में सामग्री का इन्द्राज नहीं होने मात्र से डीलर के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप नहीं लगाया जा सकता लेकिन उक्त प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा राज्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित दिशा–निर्देशों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से बिना उचित जांच व निष्कर्ष पारित किये केवल मात्र उपभोक्ताओं के मौखिक बयान के आधार पर ही रसद सामग्री का दुरूपयोग माना जाकर आरोप प्रमाणित माना गया। अतः विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उपभोक्ताओं को पोश मशीन द्वारा बायोमेट्रिक रूप से मिलान करने पर रसद सामग्री का ऑनलाईन वितरण किया जाता है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता किया जाना संभव नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि पोस मशीन से रसद सामग्री के वितरण में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :– पोश मशी[illegible]ान लेने की प्रक्रियाः– 1. आप अपने हाथ का अंगूठा या कोई भी [illegible] अपनी पहचान दर्ज करके ले सकते हैं। 2. अंगूठा मशीन [illegible] होता है (जब तक मशीन में लाईट न जल उठे) किसी कारण से अगर मशीन में किसी व्यक्ति की पहचान ना हो तो परिवार का कोई और व्यक्ति (जिसका नाम भामाशाह से जुडा हो) भी अपनी पहचान दर्ज करवाकर परिवार का राशन ले सकता है। 3.अगर तीन बार में किसी व्यक्ति की पहचान दर्ज न हो तो भामाशाह में रजिस्टर्ड आपके मोबाईल पर मैसेज से अपने आप एक ओटीपी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

(वन टाइम पासवर्ड) आ जाता है। इस ओटीपी को मशीन में दर्ज करके भी राशन लिया जा सकता है। अगर आपके परिवार का कोई मोबाइल भामाशाह में दर्ज नहीं है तो आप ई–मित्र केन्द्र पर जाकर इसे दर्ज करवा सकते हैं ताकि आपको यह सुविधा मिल सके। मोबाइल पर मैसेजः– इस व्यवस्था का फायदा यह भी है कि राशन की दुकान पर राशन आते ही मैसेज मिल जाता है कि आपका राशन आ गया है। इसके अलावा राशन लेने पर भी मैसेज मिल जाता है कि आपने इतना राशन ले लिया है और इतना राशन शेष है। हिसाब की पूरी जानकारीः– राशन लेने के बाद उपभोक्ता को हिसाब की पर्ची भी मिल जाती है, जिससे लेन–देन व उपलब्ध शेष राशन की पूरी जानकारी उपभोक्ता को रहती है। इस प्रकार रसद सामग्री का वितरण ऑनलाइन होने के कारण उपभोक्ता के मोबाईल पर रसद सामग्री प्राप्ति का मैसेज आ जाता है। अतः उक्त प्रक्रिया के तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा किसी प्रकार की कालाबाजारी/अनियमितता किये जाने की संभावना कतई रूप से नहीं हो सकती बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित माना जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया जो कि विधिसम्मत नहीं होने के कारण विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 01.09.2023 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गयी जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी लेकिन उच्च स्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण जांच के लगभग 8 माह पश्चात् दिनांक 29.05.2024 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसकी विधिवत तामील प्रार्थी को नहीं करवायी गयी जिसके कारण प्रार्थी द्वारा कारण बताओ नोटिस का जबाव प्रस्तुत नहीं किया जा सका. एवं जिला रसद अधिकारी कार्यालय दौसा द्वारा प्रार्थी को सूचित किये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अपने आदेश दिनांक 16.07.2024 द्वारा निलम्बित किया जाकर आगामी तारीख पेशी 08.08.2024 नियत की गयी जिसकी कोई भी सूचना प्रार्थी को नहीं दी गयी एवं जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अत्यन्त कठोर दण्ड देते हुए अपने आदेश दिनांक 08.08.2024 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जो कि उक्त विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 पारित करने से पूर्व ना तो जांच रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध करवाई गई एवं ना ही कोई दस्तावेज बयानात आदि की कॉपी उपलब्ध करवाई गई। यहां यह उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा कारण बताओ नोटिस की विधिवत तामील प्रार्थी को नहीं करवायी गई। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सका । बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया जो कि उक्त आदेश राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम विनियमन आदेश 1976 की धारा 8 (2) के विपरीत होने के साथ–साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के विरूद्ध रसद सामग्री के वितरण को लेकर किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत एवं पत्रावली पर भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी के द्वारा रसद सामग्री के दुरूपयोग का कोई आरोप प्रमाणित हो । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोपों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता जबकि उक्त प्रकरण में केवल मात्र काल्पनिक आधारों पर प्रार्थी के ऊपर रसद सामग्री के दुरूपयोग का आरोप लगाया गया जिसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है । अतः विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो तथ्यों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की उचित रूप से विवेचना की और ना ही रिकार्ड की उचित प्रकार से जांच की गई। जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा अपने नॉन स्पीकिंग आदेश द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है एवम् उक्त चिवादित आदेश में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा ना तो कोई ठोस निष्कर्ष पारित किया एवं ना ही साक्ष्यों की उचित रूप से विवेचना की गई जो कि उक्त आदेश विधिसम्मत श्रेणी में नहीं आने के कारण विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 में ज्यादातर आरोप केवल संभावनाओं पर आधारित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित आदेश पारित करने से पूर्व ना तो तथ्यों की उचित रूप से विवेचना की एवं ना ही कोई ठोस निष्कर्ष पारित किया । केवल मात्र उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये मौखिक कथनों के आधार पर ही प्रार्थी के ऊपर गबन का आरोप माना जाकर उक्त विवादित आदेश पारित किया है। अतः विवादित आदेश दिनांक 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का एकमात्र रोजगार यह दुकान है एवम् प्रार्थी के ऊपर कोई गम्भीर आरोप भी नहीं है एवम् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई कालाबाजारी नहीं की गयी है उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया गया। अतः जिला रसद पारित विवादित आदेश अधिकारी, दौसा द्वारा 08–08–2024 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् के समक्ष स्वीकार फरमायी जाकर जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2024 को निरस्त फरमाने के आदेश प्रदान कर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल कर रसद सामग्री वितरण के आदेश पारित करने की कृपा करें ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके अन्य कोई आदेश जो प्रार्थी/अपीलार्थी के हक में हो, पारित करने की कृपा करें।

4. विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि उचित मूल्य दुकानदार की दुकान का प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा दिनांक 1.9.2023 को निरीक्षण किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा की गई अनियमितताओं बाबत प्रार्थी को दिनांक 29.5.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 16.7.2024 को निलंबित किया गया। राशन डीलर द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 8.8.2024 को निरस्त किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रकरण के तथ्य एवं आरोपः प्रवर्तन निरीक्षक, सिकराय द्वारा दिनांक 01.09.2023 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान (पोस संख्या 27027) की जाँच की गई थी। जाँच के दौरान दुकान बंद पाई गई थी। जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर, डीलर पर मुख्य आरोप यह है कि उसने जुलाई और अगस्त 2023 माह में उपभोक्ताओं के फिंगर प्रिंट/अंगूठा लगवा लिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन गेहूँ वितरित नहीं किए गए । उपभोक्ता उर्मिला देवी के अनुसार, डीलर ने अगस्त माह में 25 किलोग्राम गेहूँ दिए, जबकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर 45 किलोग्राम गेहूँ निकाल रखे थे। इन अनियमितताओं को 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976' की शर्तों का उल्लंघन [illegible] था
7. अधीनस्थ अधिकारी का निर्णयः जिला रसद अधिकारी (DSO) ने दिनांक 08.08.2024 को एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया और प्रतिभूति राशि ₹1000/– जब्त करने का आदेश दिया। यह निर्णय इस आधार पर लिया गया था कि अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया, और अगली पेशी 08.08.2024 को भी डीलर अनुपस्थित रहा और जवाब पेश नहीं किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

8. अपीलार्थी के आधारः अपीलार्थी ने अपनी अपील में दावा किया है कि से कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.05.2024 की विधिवत तामील नहीं करवाई गई।उसे सूचित किए बिना ही प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया और आगामी पेशी 08.08.2024 की कोई भी सूचना नहीं दी गई।विवादित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। **DSO** ने आदेश पारित करने से पूर्व न तो जाँच रिपोर्ट की प्रति दी और न ही कोई दस्तावेज उपलब्ध करवाए।

9. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर विचार (विधि विरूद्ध कार्यवाही): रिकॉर्ड के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जिला रसद अधिकारी ने डीलर को नोटिस जारी किया, प्राधिकार पत्र निलम्बित किया, और आगामी पेशी 08.08.2024 को भी डीलर अनुपस्थित रहा।

10. हालांकि जिला रसद अधिकारी दौसा ने कार्यालय टिप्पणी में यह अंकित है कि डीलर को उसके मोबाइल नंबर 9414247388 पर पेशी पर उपस्थित होने के लिए शाखा लिपिक द्वारा सूचित किया गया था। हालाँकि, यह नोटिस की तामील का वैधानिक तरीका नहीं है, और इसका कोई प्रमाण (जैसे कि कॉल रिकॉर्ड या मैसेज डिलीवरी रिपोर्ट) पत्रावली में संलग्न नहीं है।

11. प्रकरण में गंभीर आरोप गबन/दुरूपयोग के हैं, और ऐसे में प्राधिकार पत्र निरस्त करना एक अत्यन्त कठोर दण्ड है।

12. डीलर का दावा है कि उसे न तो कारण बताओ नोटिस की विधिवत तामील हुई और न ही निलम्बन की सूचना दी गई। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा एकतरफा कार्यवाही करने से पूर्व, यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि डीलर को अपने बचाव में पर्याप्त एवं वैधानिक अवसर प्राप्त हो। केवल मौखिक सूचना या अवैधानिक तामील के आधार पर एकतरफा कार्यवाही करना और कठोरतम दण्ड देना, प्राकृतिक न्याय (**Natural Justice**) के सिद्धांतों के विपरीत है।

13. जिला राद अधिकारी ने एकतरफा कार्यवाही करते हुए, डीलर के साक्ष्य या विस्तृत स्पष्टीकरण को शामिल किए बिना, केवल मौखिक बयानों के आधार पर सीधे गबन का निष्कर्ष निकालकर कठोर दण्ड दिया, जो विधि सम्मत प्रक्रिया का उल्लंघन है।

14. निष्कर्षः चूंकि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने गंभीर आरोपों के बावजूद, अपीलार्थी को वैधानिक रूप से जवाब पेश करने और सुनवाई में उपस्थित होने का पर्याप्त एवं प्रमाणित अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा कार्यवाही की है, इसलिए जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। प्रकरण को इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी दौसा को रिमाण्ड किया जाना आवश्यक है कि वे डीलर को अंतिम, वैधानिक एवं उचित अवसर प्रदान करें।

15. आदेशः–उपरोक्त विस्तृत कारणों एवं विश्लेषण के आधार पर, यह न्यायालय निम्नलिखित आदेश पारित करता है:

16. अपील स्वीकार की जाती है।

अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, दौसा द्वारा अभियोग संख्या 16/2024 में दिनांक 08.08.2024 को पारित निर्णय व आदेश निरस्त किया जाता है। पत्रावली को इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी, दौसा को रिमाण्ड (**Remand**) किया [illegible] कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा अपीलान्ट (उ.मू.दु. श्री महेन्द्र [illegible]) [illegible] की प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर, कारण बताओ नोटिस एवं जाँच रिपोर्ट की प्रति [illegible] विस्तृत लिखित जवाब/स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य (सबूत) प्रस्तुत करने का एक अंतिम वैधानिक अवसर प्रदान करें। उक्त जवाब एवं साक्ष्य के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्णतः पालन करते हुए, प्रकरण के गुण–अवगुण पर विधि सम्मत निर्णय शीघ्रता से पारित करें। पक्षकारान आज्ञा से अवगत हों। अधीनस्थ जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवंन्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनायागया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2026.04.01 11:32:21 IST
Reason: SelfAttested